भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2203
(दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

समाचार चैनलों के लिए विनियमन नीति

2203. श्री शफी परम्बिल:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक भाषा में कितने समाचार चैनल हैं और उन चैनलों के नाम क्या हैं;

(ख) देश में प्रत्येक समाचार चैनल के स्वामित्व का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में समाचार चैनलों के संचालन को नियंत्रित और विनियमित करने वाली कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ख): देश में समाचार चैनलों की संख्या 405 है।

देश में सैटेलाइट समाचार चैनलों की भाषा-वार तथा स्वामित्व विवरण सहित सूची मंत्रालय के सार्वजनिक डोमेन अर्थात ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/webHP?requestType=ApplicationRH&actionVal=userInformationSystem&screenId=2 पर उपलब्ध है।

(ग): जी, हां। "भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022" देश में समाचार चैनलों के संचालन को नियंत्रित और विनियमित करने वाली नीति है। यह नीति सार्वजनिक डोमेन अर्थात मंत्रालय की वेबसाइट https://mib.gov.in/sites/default/files/2024-05/uplinking-and-downlinking-guidelines-2022-english.pdf पर भी उपलब्ध है।

****